

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

अजय कुमार को बनाम रविन्द्र सिंह वर्मा

किस्म मुकदमा दावा 1882 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
25 ⁰¹ / ₂₂	दावा काद ऑन्य दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिमे सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.02.2022 को पेश हो। /	मोटिव नं. 18 202 12/2022
23 ⁰² / ₂₂	वकील वादी उपर। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारा लोक अदालत की भावना से सम्मोचना से गंधा ही भव उस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वादपत्र इसी स्टेटस पर खारिज किया जाता है। यदि वादीगण वादी प्रकरण का विस्तार राष्ट्रीय लोक अदालत में ^{माध्यम से} पेश करना है अतः पत्रावली दि. 22-03-22 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो। /	
12 ⁰³ / ₂₂	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण द्वारा अपना वाद पत्र प्रारंभ के आधार पर खारिज करा लिया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फिलहाल शुभान्त होकर दायर दफ्तर से। /	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
(or name)

~~अध्यक्ष~~ ~~सदस्य~~
सदस्य

कमिश्नर
मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर

मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर

मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर

मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर

मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर

मय को सहायक
कमिश्नर कि मय
के मु निर